न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 136/2019

वादीगणः– बनाम प्रतिवादीगणः–

वादीगणः–

1. जयराम पुत्र श्री हरदेवराम
2. भंवरी पत्नी हरदेवराम

जातियान–राईका,
निवासीगण–बस्सी आ0कालू,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज0।

प्रतिवादीगणः–

1. बक्साराम पुत्र तेजाराम जाति–राईका
2. खेमाराम पुत्र हाथीराम जाति–माली
3. श्रवणराम पुत्र जंवताराम जाति–राईका
4. अर्जुनराम पुत्र जंवताराम जाति–राईका
5. मीरा पत्नी जंवताराम जाति–राईका
6. दुर्गा पुत्री जंवताराम जाति–राईका
7. पाबुराम पुत्र लाबुराम जाति–राईका
8. निम्बाराम पुत्र लाबुराम जाति–राईका
9. शैतानराम पुत्र लाबुराम जाति–राईका
10. हनुमानराम पुत्र लाबुराम जाति– राईका
11. परमाराम पुत्र लाबुराम जाति– राईका
12. रामनिवास पुत्र उगमाराम जाति– राईका
13. ढगलसिंह पुत्र बालुसिंह
14. किसनसिंह पुत्र बालुसिंह
15. नन्दकिशोर पुत्र बालुसिंह
16. जुगलकिशोर पुत्र बालुसिंह
17. रमेश पुत्र बंशीलाल फौत के का0मु0
    - 17/1– प्रेमराज पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/2– धर्मीचन्द पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/3– सुभाष पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/4– सुमित्र पुत्री स्वर्गीय रमेश
    - 17/5– ललिता पुत्र स्वर्गीय रमेश
18. कैलाशचन्द पुत्र बंशीलाल फौत के का0मु0
    - 18/1– मन्जू पत्नी स्वर्गीय कैलाश
    - 18/2– महेश पुत्र स्वर्गीय कैलाश
    - 18/3– खुशबू पुत्री स्वर्गीय कैलाश
    - 18/4– ललिता पुत्री स्वर्गीय कैलाश
19. सरस्वतीदेवी पुत्री बंशीलाल
20. इन्द्रादेवी पुत्री बंशीलाल
21. उषा पुत्री बंशीलाल
22. छोटी पुत्री बंशीलाल
23. सोहनी पत्नी मूरलीधर जाति–सैन
24. नरेन्द्रकुमार पुत्र मूरलीधर जाति–सैन
25. गिरधारीलाल पुत्र मूरलीधर जाति–सैन

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

26. प्रकाशचंद पुत्र मूरलीधर जाति-सैन
27. पुखराज पुत्र मूरलीधर जाति-सैन
28. पुष्पा पुंत्री मूरलीधर जाति-सैन
29. उर्मिला पुत्री मूरलीधर जाति-सैन
30. संतोष पुत्री मूरलीधर जाति-सैन
31. भाकर पुत्र कानाराम जाति राईका निवासीगण-बस्सी आ0कालू, तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0।
32. लक्षमणराम पुत्र रामलाल जाति-सीरवी निवासी-भाकरवास
33. बिरजु पुत्र निम्बाराम जाति-राईका
34. हड़मानराम पुत्र गायडराम जाति-राईका
35. मोतीलाल पुत्र बोदूराम जाति-राईका
36. राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल जाति-पुरोहित
37. सुखदेव पुत्र इन्द्रचंद जाति-जांगिड़
38. रूपकंवर पत्नी हीरालाल जाति-पुरोहित
39. भाकरराम पुत्र शिवराम जाति-राईका
40. लाबुराम पुत्र हीराराम जाति-राईका
41. जगदीश गोद पुत्र कल्याणसिंह सभी निवासीगण- बस्सी आ0कालू, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज0।
42. शाखा प्रबन्धक महोदय आरएमजीबी बैंक शाखा, आ0कालू तहसील-जैतारण
43. तहसीलदार साहब, जैतारण जिला-पाली राज0।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.27/06/2019</u>

उपस्थितः-

1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, देवेन्द्रसिंह राठैड़, महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

<u>-:: निर्णय ::-</u> <u>दिनॉकः-16/01/2020</u>

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 787 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। जिसमें वादीगण संख्या एक का 1/16 हिस्सा व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण संख्या 02 का 1/16 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी को तोड़फोड़ देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बट अनुसार बंट हुइ है का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतु दिनांक 20.06.2019 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी कता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेंगे तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे वादीगण खर्चे से जेर बार हो जायेगे। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से व बाट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से वादीगण के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक मंसुबो में सफल हो जाते है तो वादीगण को असीम हानि होगी। जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह वादपत्र बटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। बिनाय दावा दिनांक 20.06.2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाड़ा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तांतरण करने एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम बस्सी आ0कालू तहसील-जैतारण, जिला-पाली, में उत्पन्न हुआ। जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्स् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादी संख्या 01 से 04,05,

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

06,10,12,17/1से 17/5,18/1,18/4,32,41,42 बावजूद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 14,16,19 से 22,24,28 से 31,33 से 35 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 23,27, जवाब दावा पेश नहीं कर माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा किये जाने का जाहिर किया गया। प्रतिवादीगण की और से वकालतनामा पेश हुये। प्रतिवादी सं. 13,15,36 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। जवाब दावा में व्यक्त किया विवादग्रस्त कृषि भूमि सामलाती है व बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जो सही है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो सही है तथा सीमा को लेकर हो रहे विवाद की बात सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण भी उक्त अविभाजित कृषि भूमि को अपने हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने एवं बैंक से ऋण लेने एवं अपनी कृषि भूमि को अकृषि भूमि में रूपान्तरण नहीं करवा सकते है एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे है प्रतिवादीगण ही ऐसा चाहते है तथा प्रतिवादीगण भी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने हेतु तैयार है दिनांक 20.06.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार एवं ऐलानिया कथन, उक्त भूमि का बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा के अजनबी कता को बेचान करना, हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देना तथा वादीगण को बेदखल करने की बात असत्य होने से अस्वीकार है तथा प्रतिवादीगण भी उक्त विवादित कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने को तैयार है। उक्त कृषि भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि का बंटवाड़ा पेमाईश करके व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

प्रतिवादी सं. 05,07,08,09,11,39,40 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। जवाब दावा में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा नहीं हो रखा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं है तथा बंटवाड़ा भी विधिअनुसार नहीं है क्योंकि कई खातेदारान को अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ते भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पूर्वजों ने अपनी इच्छा से बंटवाड़ा किये थे उसमें रास्ते नहीं छोड़े गये। वादीगण को अपनी आराजी में किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी जानकारी जवाब देहन्दा को नहीं है। परन्तु यह सही है कि कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है और यदि कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा किया जाता है तो जवाब देहन्दा को कोई ऐतराज नहीं है परन्तु बंटवाड़ा करते समय रास्ते का मुख्य रूप से राजस्व रेकर्ड व मौके पर अंकन होना चाहिये। क्योंकि उक्त आराजी में कई हिस्सेदारों के सड़क से दूर पीछे की तरफ हिस्से आयु हुए है जहां पर जाने के लिए रास्ते नही है इसलिए रास्ते की भूमि सामलाती छोड़कर बंटवाड़ा किया जावे तो जवाब देहन्दा को कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी सं. 2074-77 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रश्नगत आराजी में वादी सरहद मौजा आ०कालू द्वितीय के खसरा नं. 787 रकबा 79-10 बीघा, किस्म बारानी अव्वल भूमि में सहखातेदारान के साथ खातेदार हैं, विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से में 1/16,1/16 हिस्सा के खातेदार

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 05,07,08,09,11,39,40,13,15,36 वादीगण के साथ अपने-अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जवाब दावा में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा नहीं हो रखा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं है तथा बंटवाड़ा भी विधिअनुसार नहीं है क्योंकि कई खातेदारान को अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ते भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पूर्वजों ने अपनी इच्छा से बंटवाड़ा किये थे उसमें रास्ते नहीं छोड़े गये। उक्त आराजी में कई हिस्सेदारों के सड़क से दूर पीछे की तरफ हिस्से आयु हुए है जहां पर जाने के लिए रास्ते नही है इसलिए रास्ते की भूमि सामलाती छोड़कर बंटवाड़ा किया जावे तो जवाब देहन्दा को कोई ऐतराज नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 05,07,08,09,11,39,40,13,15,36 अपने अपने हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा चाहते हैं। खसरा नम्बर ख.नं. 787 रकबा 79-10 बीघा, किस्म बारानी अव्वल की भूमि का राजस्व रेकर्ड के अनुसार सभी के रास्ते का प्रावधान रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-आ. कालू, पटवार हल्का-आ. कालू तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 05, 07, 08, 09, 11, 39, 40, 13, 15, 36 की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 787 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/836 दिनांक 04/11/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/20/202 दिनांक 16/01/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- आ. कालू, पटवार हल्का- आ. कालू तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 787 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	जयराम पुत्र हरदेवराम कौम-राईका, सा. बस्सी खातेदार रहन एमजीबीजीबी शाखा आ.कालु	787/2	04-18	बा.अ.	3-03

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	भंवरी देवी पत्नी हरदेवराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार रहन एमजीबीजीबी शाखा आ.कालु	787/3	04-18	बा.अ.	3-03
3	मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/4	1-02	बा.अ.	2-03
		787/17	2-03	बा.अ.	
	योग	**02**	**3-05**	**बा.अ.**	**2-03**
4	पाबूराम पुत्र लाबूराम कौम-राईका सा. बस्सी खातेदार	787/7	1-02	बा.अ.	2-03
		787/19	2-03	बा.अ.	
	योग	**02**	**3-05**	**बा.अ.**	**2-03**
5	निम्बाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/8	1-02	बा.अ.	2-05
		787/20	2-04	बा.अ.	
	योग	**02**	**3-06**	**बा.अ.**	**2-05**
6	शैतानराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/5	1-02	बा.अ.	
		787/16	2-03	बा.अ.	2-03
	योग	**02**	**3-05**	**बा.अ.**	**2-03**
7	परमाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/9	1-02	बा.अ.	2-03
		787/18	2-03	बा.अ.	
	योग	**2**	**3-05**	**बा.अ.**	**2-03**
8	हनुमानराम पुत्र लाबुराम कौम-राईका सा.बस्सी खातेदार	787/6	1-02	बा.अ.	2-03
		787/15	2-03	बा.अ.	
	योग	**2**	**3-05**	**बा.अ.**	**2-03**
9	ढगलसिंह किशनसिंह नन्दकिशोर जुगलकिशोर पि. बालुसिंह कौम पुरोहित सा. आ कालू खातेदार	787/10	3-06	बा.अ.	2-05
10	भांकरराम पुत्र शिवराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/11	4-18	बा.अ.	3-03
11	भूण्डाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/12	4-18	बा.अ.	3-03
12	राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल रूपकंवर 8875/19750 पत्नी हीरालाल हि. 1/2 कौम पुरोहित सुखदेव पुत्र इन्द्रकंवर कौम जांगिड़ 1000/19750 सा. आ कालू खातेदार	787/13	19-15	बा.अ.	12-25
13	विरजु पत्नी निम्बाराम देवासी सा. बस्सी हि 33/332 बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाण कौम देवासी हि. 33/332 सा. बस्सी भंवरीदेवी बेवा बंशीलाल प्रेमराज धर्मीचन्द सुभाष पि. रमेशचन्द सुमित्रा ललिता पुत्रियां रमेशचन्द मंजु पत्नी कैलाशचन्द महेश पुत्र कैलाशचन्द खुशबू ललिता पुत्रियां कैलाशचन्द सरस्वती इन्द्रादेवी उषा छोटी पुत्रियां बंशीलाल सोहनीदेवी बेवा मुरलीधर नरेन्दकुमार राजेन्द्रकुमार	787	16-12	बा.अ.	10-29

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	गिरधारीलाल प्रकाशचन्द पुखराज पि. मुरलीधर पुष्पा उर्मीला सन्तोष पुत्रियां मुरलीधर कौम नाई हि. 133/332(भांकरराम पुत्र कानाराम आल देवासी हि 33/136 सा. बस्सी लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल कौम सीरवी सा. भाकरवास हि. 33/136 श्रवणलाल पुत्र जांवताराम गागंल कौम-देवासी हि. 56/272 बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाणा कौम देवासी हि. 7/272 रामनिवास पुत्र उगमाराम कौम देवासी हि. 7/272 बिरजु पत्नी निम्बाराम कौम देवासी हि 5/136 हड़मानराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी हि 15/136 वीरमराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी हि 15/136) 133/332 सा. बस्सी खातेदार				
14	राजेन्दकुमार पुत्र हीरालाल रूपकंवर पत्नी हीरालाल पुरोहित सुखदेव पुत्र इन्द्रचन्द जांगिड़ सा.आ.कालु बिरजु पत्नी निम्बाराम देवासी सा. बस्सी बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाणा कौम देवासी सा. बस्सी भंवरीदेवी बेवा बंशीलाल प्रेमराज धर्मीचन्द सुभाष पि. रमेशचन्द सुमित्रा ललिता पुत्रियां रमेशचन्द मंजु पत्नी कैलाशचन्द महेश पुत्र कैलाशचन्द खुशबू ललिता पुत्रियां कैलाशचन्द सरस्वती इन्द्रादेवी उषा छोटी पुत्रियां बंशीलाल सोहनीदेवी बेवा मुरलीधर नरेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार गिरधारीलाल प्रकाशचन्द पुखराज पि. मुरलीधर पुष्पा उर्मीला सन्तोष पुत्रियां मुरलीधर कौम-नाई भाकरराम पुत्र कानाराम आल देवासी सा. बस्सी लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल कौम सीरवी सा. भाकरवास श्रवणलाल पुत्र जांवताराम गांगल कौम देवासी रामनिवास पुत्र उगमाराम कौम-देवासी हड़मानराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी वीरमराम पुत्र गापड़राम , भाकरराम पुत्र शिवराम भूण्डाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम पाबूराम निम्बाराम शैतानराम परमाराम हनुमानराम पि. लाबुराम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/14	0-11	बा.अ. रास्ता हेतु	0-28
15	मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम पाबूराम निम्बाराम शैतानराम परमाराम हनुमानराम पि. लाबुराम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/21	0-03	बा.अ. रास्ता हेतु	0-10

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/01/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगणः- बनाम प्रतिवादीगणः-

वादीगणः-

1. जयराम पुत्र श्री हरदेवराम
2. भंवरी पत्नी हरदेवराम

जातियान-राईका,
निवासीगण-बस्सी आ0कालू,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
राज0 ।

प्रतिवादीगणः-

1. बक्साराम पुत्र तेजाराम जाति-राईका
2. खेमाराम पुत्र हाथीराम जाति-माली
3. श्रवणराम पुत्र जंवताराम जाति-राईका
4. अर्जुनराम पुत्र जंवताराम जाति-राईका
5. मीरा पत्नी जंवताराम जाति-राईका
6. दुर्गा पुत्री जंवताराम जाति-राईका
7. पाबुराम पुत्र लाबुराम जाति-राईका
8. निम्बाराम पुत्र लाबुराम जाति-राईका
9. शैतानराम पुत्र लाबुराम जाति-राईका
10. हनुमानराम पुत्र लाबुराम जाति-राईका
11. परमाराम पुत्र लाबुराम जाति- राईका
12. रामनिवास पुत्र उगमाराम जाति-राईका
13. ढ्गलसिंह पुत्र बालुसिंह
14. किसनसिंह पुत्र बालुसिंह
15. नन्दकिशोर पुत्र बालुसिंह
16. जुगलकिशोर पुत्र बालुसिंह
17. रमेश पुत्र बंशीलाल फौत के का0मु0
    - 17/1- प्रेमराज पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/2- धर्मीचन्द पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/3- सुभाष पुत्र स्वर्गीय रमेश
    - 17/4- सुमित्र पुत्री स्वर्गीय रमेश
    - 17/5- ललिता पुत्र स्वर्गीय रमेश
18. कैलाशचन्द पुत्र बंशीलाल फौत के का0मु0
    - 18/1- मन्जू पत्नी स्वर्गीय कैलाश
    - 18/2- महेश पुत्र स्वर्गीय कैलाश
    - 18/3- खुशबू पुत्री स्वर्गीय कैलाश
    - 18/4- ललिता पुत्री स्वर्गीय कैलाश
19. सरस्वतीदेवी पुत्री बंशीलाल
20. इन्द्रादेवी पुत्री बंशीलाल
21. उषा पुत्री बंशीलाल
22. छोटी पुत्री बंशीलाल
23. सोहनी पत्नी मूरलीधर जाति-सैन
24. नरेन्द्रकुमार पुत्र मूरलीधर जाति-सैन
25. गिरधारीलाल पुत्र मूरलीधर जाति-सैन

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

26. प्रकाशचंद पुत्र मूरलीधर जाति–सैन
27. पुखराज पुत्र मूरलीधर जाति–सैन
28. पुष्पा पुत्री मूरलीधर जाति–सैन
29. उर्मिला पुत्री मूरलीधर जाति–सैन
30. संतोष पुत्री मूरलीधर जाति–सैन
31. भाकर पुत्र कानाराम जाति राईका निवासीगण–बस्सी आ0कालू, तहसील– जैतारण जिला–पाली राज0।
32. लक्षमणराम पुत्र रामलाल जाति–सीरवी निवासी–भाकरवास
33. बिरजु पुत्र निम्बाराम जाति–राईका
34. हड़मानराम पुत्र गायडराम जाति–राईका
35. मोतीलाल पुत्र बोदूराम जाति–राईका
36. राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल जाति–पुरोहित
37. सुखदेव पुत्र इन्द्रचंद जाति–जांगिड़
38. रूपकंवर पत्नी हीरालाल जाति–पुरोहित
39. भाकरराम पुत्र शिवराम जाति–राईका
40. लाबुराम पुत्र हीराराम जाति–राईका
41. जगदीश गोद पुत्र कल्याणसिंह सभी निवासीगण– बस्सी आ0कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0।
42. शाखा प्रबन्धक महोदय आरएमजीबी बैंक शाखा, आ0कालू तहसील–जैतारण
43. तहसीलदार साहब, जैतारण जिला–पाली राज0।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 136/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री रामलाल देवासी, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, देवेन्द्रसिंह, महावीरसिंह उदावत प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– आ. कालू, पटवार हल्का– आ. कालू तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 787 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	जयराम पुत्र हरदेवराम कौम–राईका,	787/2	04-18	बारानी	3-03

सहायक कलेक्टर पदेन खण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	सा. बस्सी खातेदार रहन एमजीबीजीबी शाखा आ.कालु			अव्वल	
2	भंवरी देवी पत्नी हरदेवराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार रहन एमजीबीजीबी शाखा आ.कालु	787/3	04-18	बारानी अव्वल	3-03
3	मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/4	1-02	बारानी	2-03
		787/17	2-03	बा.अ.	
	योग	02	3-05	बा.अ.	2-03
4	पाबूराम पुत्र लाबूराम कौम–राईका सा. बस्सी खातेदार	787/7	1-02	बा.अ.	2-03
		787/19	2-03	बा.अ.	
	योग	02	3-05	बा.अ.	2-03
5	निम्बाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/8	1-02	बा.अ.	2-05
		787/20	2-04	बा.अ.	
	योग	02	3-06	बा.अ.	2-05
6	शैतानराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/5	1-02	बा.अ.	
		787/16	2-03	बा.अ.	2-03
	योग	02	3-05	बा.अ.	2-03
7	परमाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/9	1-02	बा.अ.	2-03
		787/18	2-03	बा.अ.	
	योग	2	3-05	बा.अ.	2-03
8	हनुमानराम पुत्र लाबुराम कौम–राईका सा.बस्सी खातेदार	787/6	1-02	बा.अ.	2-03
		787/15	2-03	बा.अ.	
	योग	2	3-05	बा.अ.	2-03
9	ढगलसिंह किशनसिंह नन्दकिशोर जुगलकिशोर पि. बालुसिंह कौम पुरोहित सा. आ कालू खातेदार	787/10	3-06	बा.अ.	2-05
10	भांकरराम पुत्र शिवराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/11	4-18	बा.अ.	3-03
11	भूण्डाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/12	4-18	बा.अ.	3-03
12	राजेन्द्रकुमार पुत्र हीरालाल रूपकंवर 8875/19750 पत्नी हीरालाल हि. 1/2 कौम पुरोहित सुखदेव पुत्र इन्द्रकंवर कौम जांगिड़ 1000/19750 सा. आ कालू खातेदार	787/13	19-15	बा.अ.	12-25
13	बिरजु पत्नी निम्बाराम देवासी सा. बस्सी हि 33/332 बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाण कौम देवासी हि. 33/332 सा. बस्सी भंवरीदेवी बेवा बंशीलाल प्रेमराज धर्मीचन्द सुभाष पि. रमेशचन्द सुमित्रा ललिता पुत्रियां रमेशचन्द मंजु पत्नी कैलाशचन्द महेश पुत्र कैलाशचन्द खुशबू ललिता पुत्रियां कैलाशचन्द सरस्वती इन्द्रादेवी उषा	787	16-12	बा.अ.	10-29

तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	छोटी पुत्रियां बंशीलाल सोहनीदेवी बेवा मुरलीधर नरेन्दकुमार राजेन्द्रकुमार गिरधारीलाल प्रकाशचन्द पुखराज पि. मुरलीधर पुष्पा उर्मीला सन्तोष पुत्रियां मुरलीधर कौम नाई हि. 133/332(भांकरराम पुत्र कानाराम आल देवासी हि 33/136 सा. बस्सी लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल कौम सीरवी सा. भाकरवास हि. 33/136 श्रवणलाल पुत्र जांवताराम गागंल कौम-देवासी हि. 56/272 बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाणा कौम देवासी हि. 7/272 रामनिवास पुत्र उगमाराम कौम देवासी हि. 7/272 बिरजु पत्नी निम्बाराम कौम देवासी हि 5/136 हड़मानराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी हि 15/136 वीरमराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी हि 15/136) 133/332 सा. बस्सी खातेदार				
14	राजेन्दकुमार पुत्र हीरालाल रूपकंवर पत्नी हीरालाल पुरोहित सुखदेव पुत्र इन्द्रचन्द जांगिड़ सा.आ.कालु बिरजु पत्नी निम्बाराम देवासी सा. बस्सी बक्साराम पुत्र तेजाराम खटाणा कौम देवासी सा. बस्सी भंवरीदेवी बेवा बंशीलाल प्रेमराज धर्मीचन्द सुभाष पि. रमेशचन्द सुमित्रा ललिता पुत्रियां रमेशचन्द मंजु पत्नी कैलाशचन्द महेश पुत्र कैलाशचन्द खुशबू ललिता पुत्रियां कैलाशचन्द सरस्वती इन्द्रादेवी उषा छोटी पुत्रियां बंशीलाल सोहनीदेवी बेवा मुरलीधर नरेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार गिरधारीलाल प्रकाशचन्द पुखराज पि. मुरलीधर पुष्पा उर्मीला सन्तोष पुत्रियां मुरलीधर कौम-नाई भाकरराम पुत्र कानाराम आल देवासी सा. बस्सी लक्ष्मणराम पुत्र रामलाल कौम सीरवी सा. भाकरवास श्रवणलाल पुत्र जांवताराम गांगल कौम देवासी रामनिवास पुत्र उगमाराम कौम-देवासी हड़मानराम पुत्र गापड़राम कौम देवासी वीरमराम पुत्र गापड़राम , भाकरराम पुत्र शिवराम भूण्डाराम पुत्र लाबुराम कौम राईका मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम पाबूराम निम्बाराम शैतानराम परमाराम हनुमानराम पि. लाबुराम राईका सा. बस्सी खातेदार	787/14	0-11	बा.अ. रास्ता हेतु	0-28
15	मीरा पत्नी जंवतराम श्रवणराम अर्जुनराम पि. जंवतराम दुर्गा पुत्री जंवतराम पाबूराम निम्बाराम	787/21	0-03	बा.अ. रास्ता हेतु	0-10

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

शैतानराम परमाराम हनुमानराम पि. लाबुराम राईका सा. बस्सी खातेदार				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें । बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/01/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04–00	स्टाम्प वकालतनामा	04–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	13–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		गुत्फरिक	
मिजानः–	18–00	मिजानः–	04–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.04 17:56:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: